

लिंग०-५१५२। २०१८। (सीधी) भट्टा०

न्यायालय श्रीमान म०प्र० राजस्व मण्डल खण्ड पीठ रीवा (म.प्र.)



आधेन्द्र विक्रम गांव
द्वारा पेशा। ०५-७-१८



(1) श्रीमती कैलशुआ पत्नी श्री भगवानदास विश्वकर्मा उम्र 55 वर्ष,

(2) श्रीमती धनेश कुमारी सिंह बेवा पत्नी स्व० श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह उम्र लगभग 83 वर्ष,

(3) नागेन्द्र प्रताप सिंह तनय स्व० श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह उम्र 62 वर्ष,

सभी निवासी उपनी थाना सीधी तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

-- पुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण

बनाम

- (1) शलिक लोहार
- (2) मतलवी लोहार { पिता भरोसा लोहार
- (3) शेषमणि लोहार
- (4) गोपाल लोहार पिता महाबीर लोहार
- (5) हिरउआ लोहार पिता महाबीर लोहार
- (6) कलावती बेवा पत्नी महाबीर लोहार
- (7) नीलकंठ लोहार पिता अंगद लोहार
- (8) कैशिल्या लोहार पिता अंगद लोहार
- (9) श्रीमती हिंछराजू बेवा पत्नी शालिक प्रसाद
- (10) भगवान दास पिता शलिक प्रसाद विश्वकर्मा
- (11) रामसुन्दर पिता शालिक प्रसाद विश्वकर्मा
- (12) श्रीमती रिसलुआ पत्नी स्व. गोपाल विश्वकर्मा
- (13) रामलाल {
- (14) सतानन्द { पिता स्व० गोपाल विश्वकर्मा

नारायण प्रताप सिंह

५३३

५३४

(15) प्रेमवती पुत्री स्व० गोपाल विश्वकर्मा पत्नी गणेश सभी
निवासी ग्राम उपनी तहसील गोपदबनास जिला सीधी
म०प्र०

(16) रामपती पिता छोटा लोहार

(17) राजाराम

(18) बालमीकि

(19) रघुराज

सभी के पिता रामपती लोहार

निवासी ग्राम डोल तहसील सिहाबल जिला सीधी म.प्र.

(20) सुशीला पति राममिलन लोहार निवासी ग्राम दी
तहसील सिहाबल जिला सीधी म.प्र.

(21) भारती पति छोटेलाल लोहार निवासी कोदौरा
तहसील सिहाबल जिला सीधी म.प्र.

(22) फूलवती पति मिश्रीलाल लोहार निवासी ग्राम डिहुली
तहसील सिहाबल जिला सीधी म.प्र.

(23) फूलकली पत्नी जगन्नाथ लोहार निवासी पतुलखी
तहसील सिहाबल क्रमांक 20, 21, 22, 23 सभी पुत्री
रामपति लोहार निवासी जिला सीधी (म.प्र.)

----- गैर पुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश दिनांक
23/04/18 जो प्रकरण क्रमांक 27/
निगरानी/2000-2001 में कलेक्टर
सीधी द्वारा पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.र.
संहिता-1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आवेदिका क्रमांक-2 के पति व 3 के पिता स्व० श्री
राजेन्द्र बहादुर सिंह ने भूमि खसरा नं. पुराना 1209
रकवा 1.50 एकड़, 1237 रकवा 4.06 एकड़ एवं
1271 रकवा 1.00 एकड़ मतलवी लोहार से 100/-
रुपयों में वर्ष 1959 में कच्चीटीप से क्रय कर काबिज हो
गये थे, बाद में कुछ व्यक्तियों द्वारा विवाद करने पर

१६ लि
३५ लि

१५ लि
३५ लि नागर्द प्रताप सिंह
३५ लि तुगारी

(113)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक ५०.४१८२/२०१८/भृत्या जिला- सीधी

श्रीमती वैल्लभाऊ विरुद्ध शीलक भाष्टार

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री विवेक शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक २७/निगरानी/२०१८-०१ में पारित आदेश दिनांक 23.04.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयष्ट किया जाता है। उभयष्ट दिनांक २९.०३.१९ को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	